न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 102/2017
अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. पहलवानसिंह,
2. कुलवन्तसिंह एवं
3. बलवन्तसिंह आत्मजन श्री सुन्दरसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी,
4. श्रीमती परमजीतकौर धर्मपत्नी स्व. श्री अमरसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी वर्तमान 177 बी, गली नम्बर 4, सेतिया कालोनी, नजदीक गुरूद्वारा रामदास, श्रीगंगानगर.
5. कुलजीतसिंह एवं
6. दलजीतसिंह रायसिख, चक 3 सी बड़ी वर्तमान 177 बी, गली नम्बर 4, सेतिया कालोनी, नजदीक गुरूद्वारा रामदास, श्रीगंगानगर.

.....वादीगण

बनाम

1. इन्द्रसिंह एवं
2. लक्षमणसिंह आत्मजन श्री बागसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी
3. सुखविन्द्रसिंह आत्मज श्री मक्खनसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी
4. श्रीतमी लक्षमीबाई धर्मपत्नी स्व. श्री मक्खनसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी
5. सुरजीतसिंह आत्मज स्व. श्री मक्खनसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी
6. श्रीमती प्यारोबाई धर्मपत्नी स्व. श्री उत्तमसिंह रायसिख, चक 9 के डी ढाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर,
7. पूर्णसिंह एवं
8. हरनेकसिंह आत्मजन स्व. श्री उत्तमसिंह, रायसिख, चक 9 के डी ढाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर,
9. श्रीमती गुरमीतकौर धर्मपत्नी श्री अमरजीतसिंह आत्मज स्व. श्री उत्तमसिंह, रायसिख, डण्डेवाी ढाणी अबोहर जिला फाजिल्का
10. श्रीमती सुरजीतकौर धर्मपत्नी श्री कलवन्तसिंह आत्मजा स्व. श्री उत्तमसिंह, रायसिख, चक 10 के डी तहसील घड़साना,
11. श्रीमती प्रीतोबाई धर्मपत्नी श्री रतनसिंह, आत्मजा स्व. श्री उत्तमसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी
12. श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री राजू आत्मजा स्व. श्री उत्तमसिंह, रायसिख, मुक्ताप्रसाद कालोनी, बीकानेर,
13. रतनसिंह आत्मज श्री दयालसिंह माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, चक 3 सी बड़ी,
14. सुरजीतसिंह आत्मज श्री दयालसिंह माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, 365 हैड घड़साना,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

15. भगवानसिंह आत्मज श्री दयालसिंह माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, 365 हैड घड़साना,
16. श्रीमती सुमित्र धर्मपत्नी श्री प्रेमसिंह माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, 365 हैड घड़साना,
17. श्रीमती भजनोबाई धर्मपत्नी श्री रूपसिंह, माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, 32 हैड तहसील खाजूवाला,
18. श्रीमती प्रेमकौर उर्फ प्रेमी धर्मपत्नी श्री बसंतसिंह, माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, 32 हैड तहसील खाजूवाला,
19. श्रीमती मायाबाई धर्मपत्नी श्री सतनामसिंह, माता स्व. श्रीमती इन्द्रोबाई, रायसिख, हजरावा तहसील फतेहबाद हरियाणा,
20. श्रीमीत मनजीतकौर धर्मपत्नी श्री बलदेवसिंह आत्मज स्व. श्री अमरसिंह, रायसिख, रोहिड़ांवाली मण्डी(ढाणी) तहसील व जिला फाजिल्का,
21. श्रीमती गुरप्रीतकौर आत्मजा स्व. श्री अमरसिंह धर्मपत्नी श्री परमजीतसिंह, रायसिख, बाघा तहसील व जिला फाजिल्का,
22. श्रीमती कश्मीरकौर धर्मपत्नी श्री सतनामसिंह आत्मजा श्री सुन्दरसिंह, रायसिख, बरूवाला तहसील रायसिंहनगर,
23. जगदीशसिंह आत्म्ज श्री पालसिंह, रायसिख, शरकज नहर पक्की,
24. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.
25. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), घड़साना.

......प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री सुभाष मिढ़ा (वादीगण)
श्री जितेन्द्रसिंह (प्रतिवादी–20से22)
श्री राजेश गुम्बर (प्रतिवादी–9,11,12)
श्री भजनसिंह (प्रतिवादी–1,3से5)
श्री मोहनलाल माहर(प्रतिवादी–23)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–24)

दिनांक 17 सितम्बर, 2018

।। निर्णय ।।

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/94 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 से 25, मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 13/2 से 25 की कुल 9.487 हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व श्री सुन्दरसिंह आत्मज श्री बग्गासिंह को भारत–पाक विभाजन पर पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी. **(जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है)** श्री सुन्दरसिंह, श्री इन्द्रसिंह, श्री लक्ष्मणसिंह, श्री उत्तमसिंह, श्री मक्खनसिंह का संयुक्त हिन्दू परिवार के मुख्यिा श्री सुन्दरसिंह, श्री सुन्दरसिंह के परिवार में श्रीमती वीरा धर्मपत्नी, श्रीमती बीबा माता एवं श्रीमती इन्द्रो बहिन साथ रहते थे. प्रश्नगत कृषि भूमि के आवंटन

के समय परिवार में उक्तांकित अन्य सदस्य श्री सुन्दरसिंह के साथ रहने के कारण इनका नाम परिवार के सदस्यों के रूप मं दर्ज किया गया जबकि वास्तविक आवंटी श्री सुन्दरसिंह था जिसके द्वारा भारत सरकार के पुर्नवास विभाग से निर्धारित प्रारूप अपेण्डिक्स–III में इकरारनामा निष्पादित कर किश्तों की राशि जमा करवायी गयी. परिवार बढ जाने एवं लड़कियों के विवाह हो जाने से संयुक्त परिवार को कायम रखना सम्भव नहीं रहा तथा उक्त भूमि कम होने से परिवार के कुछ सदस्यों के नाम से अन्य भूमि आवंटित करवायी गयी, श्री सुन्दरसिंह ने बहिन का विवाह भी इसी भूमि की आय से किया गया, जिसके परिणामतः बहिन श्रीमती इन्द्रो एवं माता बीबा ने अपने अधिकारों का श्री सुन्दरसिंह के जीवनकाल में ही मौखिक, पारिवारिक समझौता से परित्याग कर दिया गया. यद्यपि श्री सुन्दरसिंह के अतिरिक्त अन्य कोई आवंटी नही था, सदस्यों के नाम केवल परिवार की सूचि के कारण दर्ज किये गये थे किन्तु राजस्व अभिलेखों में श्री सुन्दरसिंह की बहिन श्रीमती इन्द्रो एवं माता श्रीमी बीबा के नाम दर्ज होने के कारण उन्होने अपने अधिकारों का श्री सुन्दरसिंह के पक्ष में परित्याग कर दिया गया. श्री सुन्दरसिंह एवं श्रीमती वीरा धर्मपत्नी की मृत्यु हो चुकी है. श्री उत्तमसिंह के नाम उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की आय से चक 9 के.डी.ए तहसील घड़साना के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 16 पत्थर नम्बर 132/51 की 6.135 हैक्टर कृषि भूमि आवंटित की गयी जिसकी किश्ते प्रश्नगत कृषि भूमि की आय से अदा की गयी. इस कारण श्री उत्तमसिह जो वास्तव में आवंटी नहीं था किन्तु उसका राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज था, के द्वारा भी अपना हक व हिस्सा का श्री सुन्दरसिंह के वारिसान के पक्ष में परित्याग कर दिया गया. इस प्रकार श्री लक्षमणसिंह आत्मज श्री बागसिंह क नाम चक 15 के.एन. डी.बी तहसील घड़साना के खाता संख्या 1/1 मुरब्बा नम्बर 29, पत्थर नम्बर 212/54 मुरब्बा नम्बर 30, पत्थर नम्बर 212/47 की कुल 6.631 हैक्टर कृषि भूमि प्रश्नगत कृषि भूमि की आय से ही बनायी गयी. इसलिये उसके द्वारा भी अपने अधिकारों का श्री सुन्दरसिंह के वारिसान के पक्ष में परित्याग किया गया. इस प्रकार श्री सुन्दरसिंह के वारिसान श्री सुन्दरसिंह के हिस्सा, उसकी पत्नी श्रीमती वीरा के हिस्सा, श्री उत्तमसिंह एवं श्री लक्षमणसिंह के हिस्सा के भी हकदार बने, किन्तु राजस्व अभिलेखों में कानून की जानकारी के अभाव में श्री लक्षमणसिह, श्री उत्तमसिंह का नाम हटवाया नही जा सका, इस कारण चक 3 सी बड़ी की प्रश्नगत कृषि भूमि की सनद जारी की गयी जिसमें श्री लक्षमणसिंह, श्री उत्तमसिंह, श्रीमती इन्द्रो, श्रीमती बीबा एवं श्रीमती वीरा का नाम गलत तौर पर दर्ज हो गया जबकि इनकी सीमा तक सनद शुरू से शून्य होने से श्री सुन्दरसिंह के वारिसान के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. यद्यपि श्री इन्द्रसिंह, श्री मक्खनसिंह भी प्रश्नगत कृषि भूमि के आवंटी नहीं थे क्योंकि आवंटन एकमात्र श्री सुन्दरसिंह को ही किया गया था. किन्तु परिवार के सदस्य होने से श्री इन्द्रसिंह एवं श्री मक्खनसिंह का नाम भी सनद एवं राजस्व अभिलेखों में इनका नाम दर्ज हो गया. श्री मक्खनसिंह के वारिसान

सहायक कलेक्टर एवं
न्यायालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 हैं, जो श्री मक्खनसिंह के हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के कारण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं. श्री इन्द्रसिंह का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के कारण श्री उत्तमसिंह के वरिसान प्रतिवादी संख्या 6 से 12 चूंकि श्री उत्तमसिंह के नाम पर आवंटित कृषि भूमि पर काबिज है, इस प्रकार उनका हक व हिस्सा इस कृषि भूमि में मिला होने के परिणामताः प्रश्नगत कृषि भूमि में कानूनन कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. स्व. श्री इन्द्रोबाई के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 से 19 श्रीमती इन्द्रोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने हक व अधिकार श्री सुन्दरसिंह के पक्ष में परित्याग करने के परिणामताः वारिसान का किसी भी कृषि भूमि पर कब्जा नही रहा. इस प्रकार श्रीमती इन्द्रोबाई के वारिसान का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता. श्री सुन्दरसिंह का एक पुत्र श्री अमरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादी संख्या 4 से 6, 20एवं 21 हैं जिनका श्री सुन्दरसिंह की प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 20 एवं 21 वादीगण के साथ सहमत हैं किन्तु आज साथ नहीं होने के कारण उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है. इस प्रकार चक चक 3 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/94 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 से 25, मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 13/2 से 25 की कुल 9.487 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 श्री इन्द्रसिंह का सनद के अनुसार 1/8 हिस्सा अर्थात 1.186 हैक्टर, श्री मक्खनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/8 हिस्सा अर्थात 1.186 हैक्टर बनता है. शेष 7.115 हैक्टर के लिये वादी संख्या 1 से 2, 4 से 6 एवं प्रतिवादी सख्या 20 व 21 बनते हैं. प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा अपने अधिकारों का अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया गया है. इस प्रकार शेष 7.115 हैक्टर कृषि भूमि में, वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, वादी संख्या 3 प्रत्येक का ¼-¼ हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 20 एवं 21 का ¼ हिस्सा बनता है. इसी अनुरूप, अधिकारों की घोषणा करायी जाकर, श्री लक्षमणसिंह, श्री उत्तमसिंह को चक 9 के.डी.ए. एवं चक 15 के.एन.डी.बी. में भूमि आवंटन के माध्यम से हिस्सा प्राप्त हो चुका है. स्व. श्रीमती इन्द्रो, श्रीमती बीबा जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपना अधिकारों का श्री सुन्दरसिंह एवं अपने वारिसान के पक्ष में परित्याग कर दिया गया है, की सीमा तक राजस्व अभिलेखों में उनका नाम विलोपित किया जाना, सनद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 22 के अधिकारां पर शून्य घोषित करवायी जानी आवश्यक है जिसके लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. वादी पहलवानसिंह व अन्य द्वारा कालान्तर में प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था किन्तु वादपत्र प्रस्तुत करते समय सही जानकारी के अभाव में सही तथ्य वादपत्र में दर्ज नहीं किये जा सके इसलिये पूर्व वादपत्र संख्या 537/2013 प्रत्याहरित कर नया वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. इसी मध्य, प्रतिवादी संख्या 2 श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा न होते हुऐ भी, उसके द्वारा चक 16 के.एन.डी.बी. में हक के अनुसार भूमि मिली होने से, गलत

तौर पर प्रश्नगत कृषि भूमि में से 1.383 हैक्टर कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर विक्रय विलेख दिनांक 9 फरवरी, 2017 द्वारा प्रतिवादी सख्या 23 को विक्रय कर दिया गया. जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 20 एवं 22 के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. श्री लक्ष्मणसिंह का भी प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं होने के कारण, अनाधिकारिता पूवर्क प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्तरित करने का प्रयास किया गया. प्रतिवादी संख्या 23 द्वारा झगड़ा किया गया, चोटे पहुंचायी गयी जिस पर पुलिस थाना हिन्दूमलकोट में प्रथम सूचना संख्या 89/2017 अन्तर्गत धारा 307, 447, 323, 147, 148 एवं 149 भा.द.संहिता दर्ज की गयी. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 23 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख अनाधिकारिता पूवर्क, प्रारम्भ से ही शून्य होने से वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 22 द्वारा प्रतिवादीगण से आग्रह किया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 22 को हकदार मानकर उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि, जो उनके कब्जा में चली आ रही है, उनके नाम पर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवाये तथा गलत सन्द व उसके आधार पर किये गये नामान्तरकरण, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 23 के पक्ष में करवाया गया कथित विक्रय विलेख, को शुरू से ही शून्य मान लें, किन्तु टालमटोल करते हुऐ दिनांक 27 अगस्त, 2017 को साफ इन्कार हो गये. यही वादहेतुक उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 3 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/94 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 से 25, मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 13/2 से 25 की कुल 9.487 हैक्टर कृषि भूमि में से शेष 7.115 हैक्टर कृषि भूमि में, वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, वादी संख्या 3 प्रत्येक का ¼-¼ हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 20 एवं 21 का ¼ हिस्सा घोषित कर उन्हें खातेदार, काश्तकार घोषित कर उनके ना पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने, प्रतिवादी संख्या 2 श्री लक्षमणसिंह, स्व. श्री उत्तमसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 से 12 एवं स्व. श्रीमती इन्द्रो के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 से 19 एवं स्व. श्रीमती बीबो का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं होने एवं श्री लक्षमणसिंह एवं श्री उत्तमसिंह को पारिवारिक समझौता के अनुसार चक 9 के.डी.ए. एवं चक 15 के.डी.बी में हिस्सा प्राप्त होने एवं स्व. श्रीमती इन्द्रो एवं श्रीमती बीबो द्वारा अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौता के अनुसार अपने अधिकारों का परित्याग करने के परिणामतः उनके हिस्सा तक की सीमा तक सन्द एवं सन्द के आधार पर नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी में किये गय इन्द्राजात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 23 के पक्ष में निष्पादित कथित विक्रय विलेख दिनांक 9 फरवरी, 2017, जिसे अनाधिकारिता पूवर्क वाद के विचारणकाल में ही निष्पादित किया गया है, को प्रारम्भ से ही शून्य एवं वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है, के आधार पर जमाबन्दी में उसका नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज करने एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 22 के कब्जा काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फर्स्ट टेक) श्रीगंगानगर

नहीं करने, प्रश्नगत कृषि भूमि के किसी भी भाग को बंधक, विकगय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 9 के.डी.ए की जमाबन्दी सम्बत् 2070–2073, चक 9 के.डी.बी की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 3 सी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 09 फरवरी, 2017, प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 89/2017, चक 9 के.डी.बी की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 9 के.डी.ए की जमाबन्दी सम्बत् 2070–2073, न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 537/2013 शीर्षक पहलवानसिंह बनाम इन्द्रसिंह व अन्य में जारी फर्दअहकाम आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2017 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5, 9, 11, 12, 23 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 6 से 8, 10, 13 एवं 15 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन की पावतियां प्राप्त होने पर उन्हें रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 से 8, 10, 13 एवं 15 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 24, 25 राज्यपक्ष की ओर से राज्य प्रतिनिधि उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के समस्त बिन्दुओं का स्वीकार करते हुऐ चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 23 की 25.00 बीघा वादीगण के नाम पर एवं मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 13 से 25 की 12.10 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के समस्त बिन्दुओं का स्वीकार करते हुऐ चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 23 की 25.00 बीघा वादीगण के नाम पर एवं मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 13 से 25 की 12.10 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में शपथपत्र दिनांक 09 जुलाई, 2017 की चित्रित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्य 9, 11 एवं 12 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 14 फरवरी, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादपत्र चक 3 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/94 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 से 25, मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 13/2 से 25 की कुल 9.487 हैक्टर कृषि भूमि में से शेष 7.115 हैक्टर कृषि भूमि में, वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, वादी

संख्या 3 प्रत्येक का ¼-¼ हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 20 एवं 21 का ¼ हिस्सा घोषित कर उन्हें खातेदार, काश्तकार घोषित करने बाबत प्रस्तुत किया गया है. वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि के विवरण के अनुसार वर्णित कृषि भूमि की अपने नाम पर खातेदारी घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा गया है. वादीगण द्वारा पारिवारिक समझौता की न तो वादपत्र में दिनांक अंकित की गयी है और न ही पारिवारिक समझौता के सम्बन्ध में कोई अभिलेख ही प्रस्तुत किया गया है, न ही उक्त समझौता मौखिक हुआ, के समर्थन में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है एवं न ही प्रश्नगत कृषि भूमि की सनद को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी है. इसलिये वादीगण को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने का वादकरण उत्पन्न नहीं होता. उक्त तथ्य आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता से हिट होते हैं क्योंकि वादीगण को वादकारण उत्पन्न नहीं होता. इस बिन्दु के विनिश्चिय के लिये किसी भी प्रकार की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, और स्वीकृति विधिक स्थिति के लिये केवल मात्र अभिवचन वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है. स्पष्ट एवं प्रमाणित स्थिति है. वादीगण के वाद में किये गये अभिवचनों पर ही निर्भर करती है. इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 28/2013 शीर्षक पहलवानसिंह व अन्य बनाम इन्द्रसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20 जुलाई, 2016 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 26 फरवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादीगण द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि मौखिक पारिवारिक समझौता के अनुसार हक छोड़ा गया, अतः मौखिक पारिवारिक समझौता की बाबत वादपत्र में जवाब वादपत्र प्रस्तुत होने पर तथा आपत्ति उठाये जाने पर आवश्यक तनकी कयम की जाने पर साक्ष्य होकर निर्णय किया जाना है. इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा इस आवेदनपत्र के माध्यम से मौखिक समझौता से इन्कार करने से वादपत्र निरस्त नही किया जा सकता. बल्कि जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद विवाद्वको के निर्धारणोपरान्त ही निर्णय किया जा सकता है. प्रतिवादीगण द्वारा अभी तक जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है. जबकि 90 दिवस से अधिक की अवधि व्तीत हो चुकी है. इस प्रकार वादपत्र को लम्बा करने की नीयत से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है. वादपत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण को वादकारण उत्पन्न हुआ है तथा वादपत्र सही तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता की परिधि में नहीं आता इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है. आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संहिता के प्रावधानों के अनुसार वादपत्र निम्नलिखित स्थिति में ही नामंजूर किया जायेगा–

क. जहां वाद हेतुक पृकट नहीं करता है,

ख. जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी मुल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्ययालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

ग. जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्पपत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्पपत्र के देने के लिये, न्यायलय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है.

घ. जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है.

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र उक्त प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है जबकि सम्पूर्ण वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वादीगण के वादपत्र से वादकारण प्रकृट स्पष्ट है. वादपत्र पूरे न्यायशुल्क पर पेश है. वादपत्र में अंकित कथनों से किसी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है. वाद कृषि भूमि की बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसे माननीय न्यायालय को सुनने के अधिकार उपलब्ध हैं. वादपत्र दो प्रतियां में प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र को अनावश्यक रूप से लम्बा करने की दृष्टि से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है. जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कमश:

2016(2) RRD 098 Chandra Deep Singhal vs Mamta Bisht
2018 DNJ 031 State of Rajasthan thru Tehsildar, Hindaun Distt. Karauli vs AmarSingh Dhakar & ors.
2018(1) RRT 629 Shanno Devi (Smt.) & Anr vs Satish Chaudhary & ors

का सादर अवलोकन किया गया.

मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 28/2013 शीर्षक पहलवानसिंह व अन्य बनाम इन्द्रसिंह व अन्य आवंटी श्री सुन्दरसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम पर सनद जारी नहीं हो सकता था, एवं सनद अपीलांट के नाम पर जारी करने का अनुतोष चाहा गया है, जिसमें मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा चूंकि सनद परिवार के सदस्यों के अधार पर, बेसिक रजिस्टर के आधार पर जारी हई

है, अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण अपील अस्वीकार की गयी है. विचाराधीन प्रकरण के अनुतोष ख में, प्रतिवादी संख्या 2 श्री लक्षमणसिंह एव स्व. श्री उत्तमसिंह जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 से 12 तथा स्व. श्रीमती इन्द्रो जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 से 19 हैं, स्व. श्रीमीत बीबो का चक 3 सी बड़ी की प्रश्नगत कृषि भूमि में हक व हिस्सा न होने, श्री लक्षमासिंह एवं श्री उत्तमसिंह को अन्य कृषि भूमि, पारिवारिक समझौता के अनुसार चक 9 के.डी.ए. एवं चक 15 के.एन.डी–बी में प्राप्त होने एवं श्रीमती इन्द्रो एवं श्रीमती बीबो द्वारा अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौता द्वारा हक परित्याग कर देने से, उनके वारिसान का कोई हक नहीं बनता, इनके हिस्सा की सीमा तक सनद उसके आधार पर नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी में इन्द्राज, शुरू से शून्य होने से वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. इस प्रकार सनद एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि वादीगण द्वारा अपील के माध्यम से सनद को निरस्त करने के अनुतोष को मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा निरस्त किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील निरस्त किये जाने के बाद वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार के वादकरण की उत्पत्ति नहीं होती है. ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र स्वयंमेव ही विधि द्वारा वर्जित होने के कारण पोषणीय नही है. अतः वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश आज खुले न्यायालय में पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर